न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 411 / 2024
अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. जर्मन पुत्र रामकुमार जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. ममता पुत्री वेद प्रकाश जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. विकास कुमार पुत्र वेद प्रकाश जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. विशाल पुत्र वेद प्रकाश जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. सुमित्रा देवी पत्नी वेद प्रकाश जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. अब्दुल मजीद पुत्र बली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. मन्जू पत्नी विकास जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. जमना पत्नी गौरीशंकर जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 10/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 166 / 147 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.9770 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है। भूमि मुश्तरका होने के कारण भारी परेशानी हो रही है इसलिए वादी खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहता है। वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 166 / 147 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि के प0 नं0 294 / 398 (74) के किला नं. 11 ता 14 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि, 18 के मिन उत्तर की 0.085 है0 19 के मिन उत्तर की 0.084 है0, 20 के मिन उत्तर की 0.084 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं इसी खाता की शेष भूमि 1.106 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या ... 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 0.159 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.9770 है0 भूमि के खसरा नं. 12 / 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:32:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मिन पूर्व की 1.897 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ब0 हि0 ब0 काबिज है व मिन पश्चिम की 1.474 है0 भूमि पर वादी काबिज है तथा खसरा नं. 428/2 के मिन उत्तर की 0.9715 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 काबिज है एवं मिन दक्षिण की 0.6345 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। इसी मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि खाता व लगान अलग करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी डिकी फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:52:55 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण ... पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 166/147 के कुल खसरे 10 की कुल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तादादी 2.5300 है0 भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.9770 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के मुतरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के खाता संख्या 166/147 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि में से प0 नं0 294/398 (74) के किला नं. 11 ता 14 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि, 18 के मिन उत्तर की 0.085 है0 19 के मिन उत्तर की 0.084 है0, 20 के मिन उत्तर की 0.084 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी खाता की शेष भूमि में से 1.106 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व शेष 0.159 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.9770 है0 भूमि में से खसरा नं. 12/2 के मिन पूर्व की 1.897 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मिन पश्चिम की 1.474 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 428/2 के मिन उत्तर की 0.9715 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मिन दक्षिण की 0.6345 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:52:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 411/2024
अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. जर्मन पुत्र रामकुमार जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. ममता पुत्री वेद प्रकाश जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. विकास कुमार पुत्र वेद प्रकाश जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. विशाल पुत्र वेद प्रकाश जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. सुमित्रा देवी पत्नी वेद प्रकाश जाति कलाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. अब्दुल मजीद पुत्र बली मोहम्मद ज़ाति मुसलमान कुम्हार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. मन्जू पत्नी विकास जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. जमना पत्नी गौरीशंकर जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 411 सन 2024 निर्णय दिनांक – 10/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 166/147 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि में से प0 नं0 294/398 (74) के किला नं. 11 ता 14 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि, 18 के मिन उत्तर की 0.085 है0 19 के मिन उत्तर की 0.084 है0, 20 के मिन उत्तर की 0.084 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी खाता की शेष भूमि में से 1.106 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व शेष 0.159 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.9770 है0 भूमि में से खसरा नं. 12/2 के मिन पूर्व की 1.897 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मिन पश्चिम की 1.474 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 428/2 के मिन उत्तर की 0.9715 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मिन दक्षिण की 0.6345 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:52:55 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर